

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1760 / आर-74 / 2014 / 2 / 34

भोपाल, दिनांक 25 JUN 2019

:: आदेश ::


राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3610/आर-74/2014/2/34, दिनांक 28.07.2016 से प्रभावशील निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स-2.10 की General Condition of contract की कंडिका-21 में उल्लेखित सक्षम अधिकारी (Competent Authority) को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :-

स. क्र.	सक्षम अधिकारी	अनुबंधित मात्रा से अधिक के लिए	अतिरिक्त आयटम	सब्टीट्यूट आयटम
1.	कार्यपालन यंत्री	अनुबंधित कार्य की मात्रा से 10% तक बढ़ी मात्रायें।	-	-
2.	अधीक्षण यंत्री	अनुबंधित कार्य की मात्रा से 20% तक बढ़ी मात्रायें, अधिकतम रु. 20.00 लाख तक, किन्तु कुल लागत प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10% से अधिक न हो।	रु. 20.00 लाख तक, किन्तु कुल लागत प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10% से अधिक न हो।	रु. 20.00 लाख तक, किन्तु कुल लागत प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10% से अधिक न हो।
2.	मुख्य अभियंता	सम्पूर्ण अधिकार (प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10% अधिक राशि की सीमा में)	सम्पूर्ण अधिकार (प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10% अधिक राशि की सीमा में)	सम्पूर्ण अधिकार (प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10% अधिक राशि की सीमा में)

उपरोक्त आदेश का उल्लेख निविदा प्रपत्र "एपेंडिक्स-2.10" के "Contract Data" की कंडिका-21 में भी किया जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एन.के.वैद्य) 25/6/19

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 1761 / आर-74 / 2014 / 2 / 34

भोपाल, दिनांक 25 JUN 2019

प्रतिलिपि:

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- निज सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान महालेखाकार, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, बाणगंगा, भोपाल।
- परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र (समस्त)।
- अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल (समस्त)।
- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड (समस्त)।

सरल क्रमांक 5 से 9 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव 25/6/19

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग